पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कमलेश तिवारी

बनाम

बिहार राज्य

2017 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं.946

22 जून 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 378/2016 (शाहपुर थाना कांड संख्या 30/2016 से उत्पन्न) में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302, 201—हत्या—मृतक का शव गांव में सूखी नदी में मिला, जिसे स्थानीय चौकीदार ने देखा—मृतक की पहचान फोटो और कपड़ों के आधार पर की गई—अपीलकर्ता के कबूलनामे पर चाकू बरामद किया गया।

निर्णय: पुलिस ने केवल अनुमान लगाया है और वह भी बिना किसी आधार के—अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं—मृतका के पिता और चाचा द्वारा क्रमशः अपनी बेटी और भतीजी के रूप में पहचान, पूरी तरह से अविश्वसनीय है क्योंकि पहचान केवल फोटोग्राफ से हुई थी, जबकि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि शव पर चमड़ी मौजूद नहीं थी—अपीलकर्ता के बताए गए टेलीफोन नंबर की सीडीआर के आधार पर अपराध का संबंध इतना अस्पष्ट है कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता; वह भी तब जब अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के तहत ऐसी सीडीआर की स्वीकार्यता के संबंध में अनिवार्य आवश्यकता का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है—आलोचना योग्य निर्णय और दोषसिद्धि के आलोचना योग्य आदेश को रद्द किया जाता है—अपील स्वीकार की जाती है।

(कंडिका 14, 20, 24, 25)

न्याय दृष्टान्त

कोई विशिष्ट मामला कानून उद्धृत नहीं किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; बस टिकट; इकबालिया बयान; इकबालिया बयान पर वसूली; सीडीआर

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 24.06.2017 को दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 30.06.2017 को सजा के आदेश से, विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 378/2016 (शाहपुर थाना कांड संख्या 30/2016 से उत्पन्न) में पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री विक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता; श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से: अजय मिश्रा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 946

थाना मामला सं.- 30 वर्ष-2016 थाना-साहपुर जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

कमलेश तिवारी,पिता- श्री सूरज तिवारी उर्फ़ शिव योगी तिवारी, निवासी गाँव- बरिशवान, थाना- शाहपुर, जिला- भोजपुर

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्री विक्रमदेव सिंह , अधिवक्ता
	:	श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री अजय मिश्रा , स.लो.अ.

==========

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक : 22-06-2023

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रमदेव सिंह और राज्य के विद्वान स.लो.अ. श्री अजय मिश्रा को सुना है।

2 . एकमात्र अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 50,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत तीन साल के लिए आर.आई. और दिनांक 24.06.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय के अनुसार वसूले गए जुर्माने में से अपीलकर्ता को मृतक/पीड़िता शाहिना प्रवीण उर्फ गौरी के उत्तराधिकारियों को 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, और सजा का आदेश चौथे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,भोजपुर, आरा द्वारा दिनांक 30.06.2017 को सत्र परीक्षण सं. 378/2016 में पारित किया गया। (शाहपुर थाना मामला सं. 30/2016 से उत्पन्न)

3. मृतका, जिसकी पहचान शाहिना प्रवीण के रूप में हुई है,बरिसवान गाँव में एक सूखी नदी में मृत पाई गई थी, जिसे स्थानीय चौकीदार उदय नारायण पासवान ने देखा था, जिससे मामले में अ.सा. 9 के रूप में पूछताछ की गई है।

4. अपीलकर्ता, जो उसी गाँव का निवासी है, को उसकी हत्या का दोषी ठहराया गया है। मृतक की चमड़ी घिस चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे उसके पिता और चाचा ने पहचान लिया है,जिनका नाम इस्लाम हुसैन और मोहम्मद नसीम है, जिनसे अ.सा. 4 और 5 के रूप में पूछताछ की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मृतक के शव की पहचान तस्वीरों और कुछ कपड़ों से की है जो उन्हें कभी नहीं सौंपे गए थे। अपीलकर्ता का पता एक बस टिकट पर घसीट कर लिखी कुछ बातों के आधार पर लगाया जा सका जो शव के पास से मिला था। सीट सं. 27 और 28 और मोबाइल नंबर 8405057548 भी टिकट पन्नी के पीछे लिखा हुआ मिला।

5. उपरोक्त नंबर सुमित कुमार पासवान उर्फ सोनू नाम के एक व्यक्ति का निकला, जिसने बस टिकटें बेची थीं। उपरोक्त सुमित कुमार पासवान उर्फ सोनू की जांच अ.सा. 7 के रूप में की गई। उसने किशनगंज से पटना तक 500 रुपये के दो टिकट जारी करने की बात स्वीकार की है। उन्हें, रात में बाद में, मोबाइल सं. 7319417684 से एक फ़ोन आया कि जब संबंधित बस कटिहार के पास काढ़ागोला में रुकी थी, तो टिकट खरीदने वाला व्यक्ति और उसकी महिला साथी नाश्ता करने के लिए नीचे उतरे थे, लेकिन इस बीच बस चल पड़ी। जैसा कि पहले बताया गया है, सोनू ने कॉल करने वाले को बस कंडक्टर, यानी बिपिन से बात करने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसे कॉल किया था, वह किसी दूसरी बस में चढ़ गया था। मोबाइल नंबर 731941768 राजीव दास के नाम पर पंजीकृत पाया गया।जब इन दोनों नंबरों की सीडीआर का विश्लेषण किया गया, तो पाया गया कि एक टेलीफोन नंबर किशनगंज और पटना के बीच अलग-अलग स्थानों से कई बार (आठ बार) इस्तेमाल किया गया था, जिसके माध्यम से अपीलकर्ता का पता लगाया जा सकता था।

6 . इसलिए उस पर मुकदमा चलाया गया।

7. अपीलकर्ता के खिलाफ सबूतों का विश्लेषण करने से पहले, हम यह अवलोकन करने को बाध्य हैं कि जांच एजेंसी ने जांच पूरी करने और अपीलकर्ता को मुकदमे के लिए भेजने में एक विचित्र तरीका अपनाया था। हमलोग भी इस बात से उतने ही व्यथित

हैं कि जिस तरह से विद्वान न्यायाधीश द्वारा मामले को निपटाया गया है, और दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया है और अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभिलेख में इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलकर्ता का मोबाइल टेलीफोन नंबर मृतक की मृत्यु से पूर्व कभी प्रयुक्त हुआ हो; अपीलकर्ता की पहचान, मृतक की पहचान अथवा अपीलकर्ता और मृतक के बीच किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित हो।जाँच और मुकदमे के दौरान, यह पता चला कि किशनगंज स्थित चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क पर एक संदेश दर्ज किया गया था कि लगभग 14 वर्षीय शाहिना प्रवीण, जो नसीम की बेटी है, वह लापता है। वर्तमान मामले में मृतका की आयु 24 वर्ष आंकी गई थी। तथाकथित कबूलनामे में दर्ज है कि लगभग 14 साल की शाहिना प्रवीण, जो नसीम की बेटी है, वह लापता है। वर्तमान मामले में मृतक की आयु 24 वर्ष आंकी गई थी। अपीलकर्ता का तथाकथित इकबालिया बयान, जिसके कारण हमले का हथियार और आभूषण बरामद हुए, किसी भी तरह से साबित नहीं हुआ है। हमने उपर्युक्त तथ्यों का उल्लेख इस उद्देश्य से किया है कि जिस विशिष्ट प्रकार से मामले की जाँच और विचारण किया गया है, उस पर विचार कर सकें।

8. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राथमिकी दर्ज करने वाले चौकीदार से अ.सा. 9 के रूप में पूछताछ की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 22.01.2016 को दिन में लगभग 12 बजे उन्हें एक अफवाह सुनाई दी कि *कुशहा बधार* नहर में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। अ.सा. 9 ने उपर्युक्त सूचना पुलिस स्टेशन को भेजी और घटनास्थल का दौरा किया, जहाँ उसे एक महिला का शव मिला जिसका गला कटा हुआ था। मृतका द्वारा पहने गए आभूषणों से उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक विवाहित महिला थी। उस समय, अ.सा. 9 द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के कारण, पुलिस दल भी आ गया था। मृतका की पहचान करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस पार्टी ने शव को शव परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

9. उपर्युक्त फर्दबयान के आधार पर, अ.सा. 9 के बयान के आधार पर, शाहपुर पुलिस थाना मामला सं. 30/2016 दिनांक 22.01.2016 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302/301/34 के तहत अपराधों की जांच के लिए मामला दर्ज किया गया।

10. जाँच शुरू में संजय कुमार (अ.सा.-11) द्वारा की गई थी, जो उस समय भोजपुर जिले के शाहपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर तैनात थे।

उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दी है कि जिस दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उस दिन शव की पहचान नहीं हो पाई थी। जाँच रिपोर्ट पर सीताराम तिवारी और ददन तिवारी के हस्ताक्षर थे, जिनमें से ददन तिवारी से अ.सा. 6 के रूप में पूछताछ की गई थी, जिन्होंने इस बात की गवाही दी है कि जाँच रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में तैयार की गई थी। प्रासंगिक बात यह है कि पूर्वोक्त ददन तिवारी ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका का चेहरा बिल्कुल भी पहचानने योग्य नहीं था। अ.सा. 11 ने आगे बताया कि शव के पास से एक बस टिकट, कुछ पहने हुए कपड़े और चप्पलें भी बरामद की गईं, जिन्हें जब्त कर लिया गया और जब्ती सूची तैयार की गई। आर.के. स्टूडियो से एक फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया गया, जिन्होंने शव की चार तस्वीरें लीं, जिन्हें बाद में बड़ा किया गया। उन तस्वीरों की निगेटिव प्रति अभी भी आर.के. स्टूडियो के पास है। तस्वीरों की प्रदर्शनी प्रदर्श एक्स/1, एक्स/2 और एक्स/3 के रूप में किया गया। शव के शारीरिक परीक्षण से, अ.सा.11 का मानना था कि उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी।चेहरे की त्वचा पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी।

11. आगे की जांच शिव शंकर राम (अ.सा.10) द्वारा की गई, जिन्होंने 22.01.2016 को जांच का कार्यभार संभाला था। उसने विचारण न्यायालय में गवाही दी है कि बस टिकट के पीछे दो सीट सं. 27 और 28 और एक मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा हुआ था,जो जाँच करने पर सोनू का निकला।संपर्क करने पर, सोनू ने उसे बताया कि उसने 20.01.2016 को एक व्यक्ति को दो टिकट जारी किए थे जिनके साथ एक लड़की भी थी। टिकट किशनगंज से पटना तक की यात्रा के लिए था।20.01.2016 की रात लगभग 10 बजे, जिस व्यक्ति को टिकट जारी किया गया था, उसने सोनू को मोबाइल पर कॉल करके बताया कि वह काढ़ागोला में फिर से बस में चढ़ने से चूक गया है, लेकिन बाद में बस कंडक्टर ने सोनू को बताया कि यात्री किसी दूसरी बस में चढ़ गया था। जिस नंबर से सोनू को कॉल आया था, वह जलपाईगुड़ी निवासी राजीव दास के नाम पर पंजीकृत पाया गया। न तो भौतिक साक्ष्यों से और न ही गवाहों के बयानों से हम मोबाइल सं . 9955329844 के उपयोग के संबंध में कोई संबंध पा सके हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपीलकर्ता/ कमलेश तिवारी के नाम पर पंजीकृत है, जो वर्तमान में बीएसएफ बटालियन सं. 109 में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है, और जिन पर हत्यारा होने का आरोप है।

12. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता की पहचान स्थापित नहीं की गई थी कि वह बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था या नहीं। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पूर्वोक्त टेलीफोन नंबर अपीलकर्ता के नाम पर पंजीकृत था। जाँच के दौरान, उपरोक्त टेलीफोन नंबर से विभिन्न टेलीफोन नंबरों के सीडीआर के विश्लेषण से जो कुछ भी पता चला है, वह यह है कि आठ कॉल हुई थीं और ऐसे टेलीफोन नंबर धारक का स्थान यात्रा की रात किशनगंज से पटना के बीच था, जिस तिथि को केवल इस कारण संदर्भ बिंदु के रूप में लिया गया है कि सीट संख्या वाला बस टिकट शव के पास मिला था।

13. यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि इनमें से कोई भी सीडीआर साबित नहीं हुआ है। ऐसे सीडीआर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कोई प्रमाण नहीं है कि यह सीडीआर उस कंप्यूटर से निकाला गया था जिसका उपयोग सामान्यतः ऐसे सीडीआर निकालने के लिए किया जाता था।

14. जो भी हो, अ.सा.10 ने आगे यह भी बयान दिया है कि अपीलकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर, हमले का हथियार, अर्थात् एक चाकू और लक्ष्मी ज्वैलर्स से आभूषण बरामद किए गए हैं। यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि अभियोगी सं. 10 ने अपीलकर्ता द्वारा अपने स्वीकारोक्ति में प्रयुक्त सटीक शब्दों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, जिसके कारण वसूली हुई। तथाकथित हमला करने वाला हथियार बिना किसी खून के निशान के कीचड़ में दबा हुआ पाया गया और छापे में लक्ष्मी ज्वैलर्स से बरामद किए गए आभूषणों की किसी के सामने पहचान के लिए कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि ये आभूषण मृतका के थे और अपीलकर्ता द्वारा बेचे गए थे। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की सहायता से भी, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो कानून की दृष्टि में स्वीकार्य हो और जाँच को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस के समक्ष किसी अभियुक्त के इकबालिया बयान को साबित नहीं किया जा सकता लेकिन इस इकबालिया बयान में केवल इतनी जानकारी होनी चाहिए जिससे उस संदर्भ में किसी तथ्य का पता चल सके। चाकू और आभूषणों की बरामदगी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत की गई खोज के बराबर नहीं ठहराया जा सकता।

15. अ.सा. 10 का दावा है कि जाँच के दौरान वह किशनगंज बस स्टैंड गया और सुमित कुमार पासवान उर्फ सोनू (अ.सा.7) से पूछताछ की, जब उसे पता चला कि कोई व्यक्ति जो लड़की के साथ था , किशनगंज से पटना के लिए टिकट बुक करा लिया था । बस टिकटें उसने नहीं, बल्कि इस मामले के पहले जांच अधिकारी संजय कुमार ने जब्त की थीं, जिससे अ.सा. 10 ने कभी पूछताछ नहीं की। उन्होंने आगे बताया कि जाँच के दौरान, उन्हें पता चला कि शाहिना प्रवीण के लापता होने के संबंध में 23.10.2015 को किशनगंज में एक *सनहा* दर्ज किया गया था, जिसे प्राप्त कर प्रदर्श-13 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसे प्राप्त कर प्रदर्श-13 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उस प्रविष्टि में, शाहिना प्रवीन की उम्र केवल 14 वर्ष बताई गई थी।उन्होंने स्वीकार किया है कि लक्ष्मी ज्वैलर्स से बरामद आभूषणों स्वीकार किया है कि लक्ष्मी ज्वैलर्स से बरामद आभूषणों की कभी भी पहचान परेड नहीं कराई गई।

16. कोई खोज की नहीं गयी है *चालान* अभिलेख में उपलब्ध है।

17. यह हमें मृतक के पिता नसीम (अ.सा.5) के साक्ष्य की ओर ले जाता है। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या के तरीके के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञता व्यक्त की है।उसने पुलिस को अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी थी।ऐसी शिकायत पर, उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर भी चिपकाई थी।बाद में उन्होंने एक समाचार पढ़ा जिसमें शव की पहचान तस्वीर के माध्यम से करने की मांग की गई थी, जो प्रकाशित हुआ था।ऐसी खबर देखकर वह पुलिस स्टेशन गए जहाँ उनका बयान दर्ज किया गया। हालाँकि, उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसने 01.10.2015 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में केवल उस तस्वीर से की जो उन्हें दिखाई गई थी।

18. हम इस तरह के बयान को स्वीकार करने में असमर्थ हैं जब जाँच के गवाह और जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चेहरा ख़राब होने के कारण पहचान में नहीं आ रहा था और सामान्य परिक्षण से मृतक की आयु 24 वर्ष पाई गई। पहने हुए कपड़े भी इस बात के संकेतक थे कि अ.सा. 5 को पता चल गया कि वे उसकी बेटी के थे। यह पहचान भी तस्वीरों के आधार पर की गई थी।

19. मृतका के एक चाचा, इस्लाम हुसैन (अ.सा.4) को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई। उसने पुलिस के सामने कभी कोई

बयान नहीं दिया था और उसने पहली बार विचारण न्यायालय के सामने गवाही दी थी। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि पहचान उनके भाई (मृतका के पिता) ने उनके सामने पेश की गई तस्वीर के आधार पर की थी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी भतीजी 01.10.2015 से ही लापता थी। अपनी भतीजी जैसी दिखने वाली एक महिला की मृत्यु की सूचना उन्हें 22.01.2016 को ही मिली।ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने मृतका की पहचान केवल तस्वीर से ही अपनी भतीजी के रूप में की थी।

20. इस प्रकार, व्यावहारिक रूप से, हम अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों से पाते हैं कि पुलिस ने केवल अनुमान लगाया है और वह भी बिना किसी आधार के। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है। हम ऐसा निम्नलिखित कारणों से कह रहे हैं:-

(i) बेशक, मृतका की उम्र 24 वर्ष आंकी गई थी जैसा कि डॉक्टर और अ.सा.11 ने भी बताया था, जो जांच रिपोर्ट बनाने वाले प्रथम जांच निरीक्षक भी थे।जबकि शाहिना प्रवीण केवल 14 वर्ष की थी, जो अक्टूबर 2015 में लापता हो गई थी, जिसके लिए किशनगंज स्थित चाइल्ड हेल्पलाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(ii) मृतका के पिता और चाचा द्वारा उनकी क्रमशः बेटी और भतीजी के रूप में पहचान बिल्कुल अविश्वसनीय है क्योंकि पहचान केवल तस्वीर से हुई थी, जबकि चेहरा पहचानने योग्य नहीं था क्योंकि मृत शरीर पर चमड़ी मौजूद नहीं थी।

(iii)सुमित कुमार उर्फ सोनू, जिस व्यक्ति ने टिकट जारी किया था, हो सकता है उसकी दृश्यात्मक स्मृति रही होगी कि उसने एक लड़की के साथ एक व्यक्ति को किशनगंज से पटना के लिए टिकट जारी किया था। लेकिन उसने कभी भी अपीलकर्ता की पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की जो टिकट खरीदने आया था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपीलकर्ता की पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की जो टिकट खरीदने आया था। उस समय टिकट का खरीदार कौन था, यह ज्ञात नहीं है। सोनू को उसी दिन रात के लगभग 10 बजे फ़ोन आया था, जिस दिन उसने दोपहर में टिकट जारी किया था, कि टिकट धारक काढ़ागोला में बस में नहीं चढ़ सका। पहचाना गया टेलीफोन नंबर जलपाईगुड़ी के एक व्यक्ति का था।यह स्थापित नहीं हो पाया कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने टिकट खरीदा था और यात्रा की थी; और

(iv) सीडीआर के आधार पर बताए गए टेलीफोन नंबर , अपीलकर्ता से अपराध का संबंध इतना अस्पष्ट है कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता; और वह भी तब जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत ऐसे सीडीआर की स्वीकार्यता के संबंध में दिए गए निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया हो।

21. धारा 313 के बयान के दौरान, हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि, विद्वान मुकदमे में यह पता लगाने की भी कोशिश नहीं की गई कि क्या अपीलकर्ता बी.एस.एफ. बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कहीं तैनात थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस टेलीफोन नंबर के माध्यम से अपीलकर्ता से संपर्क स्थापित किया गया है, वह एक ऐसे व्यक्ति का नंबर है जो बीएसएफ बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। अपीलकर्ता ने अपने वर्तमान व्यवसाय के बारे में भी कुछ नहीं बताया है।

22. इसलिए यह पूरी प्रक्रिया हत्या के मुकदमे की बजाय हास्यास्पद प्रतीत होती है; जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है।हम पाते हैं कि अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने या मृतका की पहचान नसीम (अ.सा. 5) की बेटी के रूप में करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

23 . इसलिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा पूरी तरह से अनुचित पाई गई।

24 . इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि हम फैसले और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दें और अपीलकर्ता को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दें यदि उसे हिरासत में नहीं लिया गया है या किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

25. अपील स्वीकार की जाती है।

26. इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को अभिलेख और अनुपालन हेतु भेजी जाए।

27. इस मामले के अभिलेख तत्काल संबंधित न्यायालय को लौटा दिए जाएं।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।